संख्या- 24/001/63डब्लू-26-27-3099-6-2026

प्रेषक,

चन्द्र भूषण
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2026

विषयः रिट याचिका (सी) संख्या-30532/2025 मै0 ए0के0 कन्स्ट्रक्शन बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.10.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-11/मु०अ०(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/पूर्वीगंगा, दिनांक 16.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बाढ़ खण्ड, बरेली से संबंधित रिट याचिका (सी) सं0-30532/2025 मै0 ए0के0 कन्स्ट्रक्शन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2025 तथा अवमाननावाद संख्या-858/2026 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 2,80,94,567.00 (दो करोड़ अस्सी लाख चौरानवे हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,80,94,567.00 (दो करोड़ अस्सी लाख चौरानवे हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14-24 भारित मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दम-2025-231/2025, दिनांक 27-मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
चन्द्र भूषण
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

(6) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, बरेली।

(7) मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मुरादाबाद।

(7) अनु सचिव (लेखा) / आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) कोषाधिकारी, बरेली।

(9) अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ कार्य मण्डल, बरेली।

(10) अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बरेली।

(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।